

समाचार.प्रकाशनार्थरू.

सूर्य नमस्कार महायज्ञ कर औषधीय पेड़ लगाने व उद्यानों को विकसित करने हेतु हुए कृत संकल्पित

रतलाम 22 जनवरी । जन.जन हर घर.परिवार आंगन राष्ट्र वंदना कर योगमय जीवन आनंद की अनुभूति लें आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 करोड़ सूर्य नमस्कार महायज्ञ में योगमय आहूति देकर विश्व गुरु बनने में सहायक सिद्ध पहल स्वच्छ स्वस्थ समृद्ध संकल्प लिए रतलाम नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारीया जी के प्रयासों से सहायक आयुक्त विकास सोलंकी मार्गदर्शन में समस्त निगम अधिकारियों कर्मचारियों ने योग से निरोग अभियान से जुड़कर स्वास्थ्य आग्रह लिए। नगर वासियों को जागरूक करने के उद्देश्य से 22 जनवरी शनिवार को प्रातः 09 बजे श्री कालिका माता उद्यान सांस्कृतिक योग कला मंच रतलाम विशिष्ट योग कार्यशाला आयोजित की गई।

मुख्य आयोजक पतंजलि युवा भारत जिला रतलाम मण्प्रणश्चिम संगठन व नगर पालिका निगम रतलाम के सौजन्य से सर्वप्रथम देश भक्ति राष्ट्र वंदना लिए भारत माता की पूजा अर्चना माल्यार्पण दीप प्रज्वलित कर निगम सहायक स्वास्थ्य अधिकारी एण्पीणसिंहए मण्प्रण जन अभियान परिषद् जिला समन्वयक रत्नेश विजयवर्गीयए योग गुरु चंदनमल घोटाए प्रकाश चन्द्र बिलालाए प्रदीप लोढ़ा ने किया अतिथियों का सम्मान करते हुए।

योग गुरु पतंजलि युवा भारत जिला प्रभारी विशाल कुमार वर्मा के कुशल नेतृत्व में पतंजलि अष्टांग योग प्राणायाम आसान योगिक जोगिंग 13 सूर्य नमस्कार का अभ्यास करवाया गया। घर.घर अमृता नीम गिलोय बेल औषधीय गुणों से भरपूर पेड़.पौधे रोपण वितरण कर प्रकृति पर्यावरण संरक्षण संवर्धन संकल्प दिलाया युवा भारत मित्रगण योग मंडल के अनिल बरमेचा की देखरेख में सांस्कृतिक योग कला

मंच पर नियमित योग कक्षा संचालित की जा रही हैं जिसका लाभ नगर वासी ले सकते हैं।

पतंजलि युवा भारत राज्य प्रभारी मण्प्रणपश्चिम प्रेमराम पुनिया ने स्वामी जी का योग संकल्प संदेश देकर योग आयुर्वेद स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ आनलाइन रजिस्ट्रेशन की जानकारी से अवगत कराया सूर्य नमस्कार संकल्प पूर्ति पर राष्ट्रीय स्तर का प्रमाणपत्र प्राप्त कर नियमित योग करने की शपथ दिलाई।

पतंजलि युवा भारत यज्ञ प्रभारी पं संजय शिवशंकर दवे ने वातावरण में व्याप्त सूक्ष्म विशैले जीव तत्वों से मुक्ति के लिए औषधीय हवन यज्ञ किया गया घर घर योग यज्ञ पद्धति अपनाकर शुद्धिकरण किया जाएं तो व्यक्ति स्वतः ही हर रोगों से मुक्त रहेगा।

पतंजलि महिला योग प्रशिक्षिका श्रीमती विमलेश वर्माए श्रीमती सुशीला वर्मा द्वारा उपस्थित मातृ शक्ति को संबल देते हुए योगमय जीवन आनंद प्रकृति पर्यावरण से जुड़ने जोड़ने के लिए प्रेरित किया वहीं दिशा नैमानी ईशा नैमानी प्रिशा नैमानी ने रंगोली बनाकर स्वच्छ स्वस्थ समृद्ध रतलाम का जन संदेश देते हुए उपस्थित जनों को नवीन नैमानी ने सामूहिक शपथ दिलाई गई।

अमृत योग उत्सव में समस्त सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि व आमजनों ने योगमय आहूति देकर निरोगी काया कल्प लिए संक्रमण मुक्ति योग मार्ग से ही निश्चित है नगर में योग कक्षाओं के विस्तार की मंशा व्यक्त की योग कार्यशाला में विशेष तौर पर बांसुरी वादक नितिन सिंह ने संपूर्ण प्रांगण सुमधुर सुरम्य भजनों गीतों की प्रस्तुति से मंत्र मुग्ध कर समां बांध दिया सफल संचालन डॉ पवन मजावदिया ने व आभार सोशल मीडिया प्रभारी नितेंद्र आचार्य ने माना

बोहरा बाखल में सोमवार को लगेगा निगम का बकाया वसूली षिविर
नगर निगम द्वारा वार्ड वार बकाया वसूली षिविरो का आयोजन

नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए संपत्तिकर 49^{७3} लाख व जलकर 10^{७94} लाख की बकाया राशि जमा कराई

रतलाम 22 जनवरी । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधित करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर आयोजित किये गये हैं जो 03 मार्च 2022 तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरण, जलकरण, दुकान, गुमटी किराया, लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किफ्त तथा भूभाटक की बकाया राशि जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 3ए28ए822६ व जलकर 54ए850६ए मालवा नगर लक्ष्मणपुरा शिविर में संपत्तिकर 1ए62ए575६ व जलकर 34ए520६ए जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास शिविर में संपत्तिकर 3ए02ए013६ व जलकर 63ए450६ए विनोबा नगर शिविर में संपत्तिकर 1ए85ए292६ व जलकर 1ए19ए720६ए अलकापुरी कम्युनिटी हॉल शिविर में संपत्तिकर 3ए20ए857६ व जलकर 62ए950६ए तिरूपति नगर शिविर में संपत्तिकर 1ए28ए977६ व जलकर 28ए870६ए कोमल नगर शिविर में संपत्तिकर 2ए16ए000६ व जलकर 14ए000६ए इन्द्रलोक नगर मार्निंग स्टार स्कूल के पास शिविर में संपत्तिकर 2ए51ए600६ व जलकर 1ए04ए640६ए कस्तुरबा नगर शिविर में संपत्तिकर 8ए61ए206६ व जलकर 1ए21ए090६ए प्रियदर्शनी नगर शिविर में संपत्तिकर 2ए14ए000६ व जलकर 47ए000६ए डोंगरे नगर शिविर में संपत्तिकर 2ए54ए422६ व जलकर 83ए700६ए हाट रोड शिविर में संपत्तिकर 1ए71ए500६ व जलकर 27ए540६ए कलीमी कालोनी शिविर में संपत्तिकर 1ए96ए281६ व जलकर 40ए240६ए राजेन्द्र नगर शिविर में संपत्तिकर 1ए45ए000६ व जलकर 31ए760६ए काटजू नगर शिविर में संपत्तिकर 3ए36ए077६ व जलकर 72ए440६ए वेदव्यास कालोनी शिविर में संपत्तिकर 98ए534६ व जलकर 37ए465६ए कल्याण नगर शिविर

में संपत्तिकर 87ए732ए. व जलकर 36ए660ए दीनदयाल नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए91ए455ए. व जलकर 92ए125ए. की राशि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली षिविरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 44 व 23 के लिये 22ए 24 व 25 जनवरी को बोहरा बाखलए वार्ड क्रमांक 23 व 44 के लिये 27 जनवरी को रामगढ़ए वार्ड क्रमांक 21 व 45 के लिये 28ए 29 व 31 जनवरी को लक्कड़पीठा प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 48 व 49 के लिये 1 से 3 फरवरी तक आर्य समाज मंदिर धानमण्डीए वार्ड क्रमांक 40 व 41 के लिये 4 से 5 फरवरी तक जूनी कोर्ट किरण टॉकिजए वार्ड क्रमांक 28ए 29ए 36ए 37 व 38 के लिये 7 से 8 फरवरी तक लॉ कॉलेज आनंद कालोनीए वार्ड क्रमांक 28 के लिये 9 फरवरी को प्रताप नगर उद्यान के पासए वार्ड क्रमांक 22 के लिये 10 फरवरी को महावीर नगरए वार्ड क्रमांक 39ए 40 व 41 के लिये 11 से 12 फरवरी तक पैलेस रोड तिराहाए वार्ड क्रमांक 25ए 26 व 27 के लिये 14 फरवरी को चौगानिया भेरूए वार्ड क्रमांक 24ए 25 व 42 के लिये 15 व 16 फरवरी को शिक्षा विभाग सायर चबुतराए वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 17 व 19 फरवरी तक चौमुखीपुल प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 41 के लिये 21 से 22 फरवरी तक बजाजखाना गणेश देवरीए वार्ड क्रमांक 33ए 34 व 35 के लिये 23 व 24 फरवरी को शास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पासए वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 25ए 26 व 28 फरवरी को दो बत्ती चौराहाए वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लिये 1 से 3 मार्च तक स्टेशन रोड दिलबहार चौराहे पर कार्यालयीन समय में षिविर आयोजित किये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त षिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित षिविरों में बकायादार अपनी बकाया राशि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

श्वान पालकों को अपने श्वान कराना होगा रजिस्ट्रेशन

2 से अधिक श्वान का पालन नहीं कर सकेंगे

रतलाम 22 जनवरी । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में प्वान पालते हैं उन्हें अब अपने प्वान का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत प्वान पालकों द्वारा अपने प्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा प्वान की भांति छोड़ दिया जाा ह तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे प्वानों एवं प्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है।

प्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस शाखा में प्रति प्वान पंजीयन शुल्क रूपये 1000₹. एवं लायसेंस शुल्क रूपये 500₹. प्रति प्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेतु प्रतिवर्ष 100₹. रूपये जमा कराना होगा। प्वान पालकों को अधिकतम् 2 प्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

नगर निगम द्वारा प्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने प्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस शाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने प्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

8168 पेंशन हितग्राहियों का हुआ भौतिक सत्यापन

पेंशन पाने वाले हितग्राही अपना भौतिक सत्यापन करवायें

रतलाम 22 जनवरी । रतलाम षहर के सामाजिक सुरक्षाए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशनए राष्ट्रीय विधवा पेंशनए राष्ट्रीय निःशक्त पेंशनए सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशनए विधवा पेंशनए निःशक्त पेंशनए मानसिक बहुविकलांग पेंशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का षासन निर्देशानुसार भौतिक सत्यापन किया जा रहा है जिसके तहत 22 जनवरी षनिवार तक 8168 पंेशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कर 79७39 प्रतिषत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

22 जनवरी को 61 टन से अधिक कचरा जुलवानिया पंहुचा

रतलाम 22 जनवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर.घर से पृथक.पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले.सूखे कचरे व सड़को व नाले.नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टे^अ चिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया जा रहा है जिसके तहत 22 जनवरी षनिवार को 61 टन से अधिक कचरा जुलवानिया टे^अ चिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया गया।

22 जनवरी षनिवार को डम्पर से 14005ए टे^अ कटर से 12070ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 17430 व काम्पेक्टर गीला कचरा 17425 इस तरह कुल 61030 किलो कचरा जुलवानिया टे^अ चिंग ग्राउण्ड पंहुचाया गया।

2905 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए

स्वरोजगार ऋण से 92 हितग्राही हुए लाभान्वित

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 22 जनवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु 2558 हितग्राहियों को राशि रूपये 10ए000६ तथा द्वितीय कार्यशील पूंजी हेतु 190 हितग्राहियों को राशि रूपये 20ए000६ ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है।

एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 92 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 3 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही

15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल

रतलाम 22 जनवरी । षहर की मुख्य सड़के सैलाना रोडए सागोद रोडए महू रोडए स्टेशन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देशित किया है षहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 22 जनवरी । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोंए व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं हों। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 22 जनवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 22 जनवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है जिसके तहत वार्डों की सड़कें गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले.नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले. नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी। वार्डों की समुचित साफ.सफाई का दायित्व झोन प्रभारी वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ.सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचारऽजसंविऽहेमन्तऽ22ण01ण2022ऽनणपाणनिगमए रतलामण